भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3025

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भू-नीर पोर्टल

3025. श्री अरुण भारतीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार में भूजल निकासी परमिट जारी करने के लिए "भू-नीर" पोर्टल शुरू किया है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा और मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) पैन-आधारित एकल आईडी प्रणाली और क्यूआर कोड-सक्षम एनओसी किस प्रकार पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं;

(ग) बिहार में भूजल प्रबंधन और जल निकासी से संबंधित चुनौतियों के समाधान में "भू-नीर" की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह पोर्टल सतत जल उपयोग के उद्देश्यों और जल संरक्षण प्रयासों पर इसके प्रभाव के अनुरूप है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरे बिहार में इस पोर्टल को अपनाया जाए, इसके विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख) "भू-नीर", जो नया अत्याधुनिक पोर्टल है, को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा वर्ष 2024 में भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु एक त्वरित और उपयोग में आसान मंच प्रदान करके देश में भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन के लिए एक सुचारू और कुशल तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन भू-नीर पोर्टल पर उन 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी में भी स्थित परियोजना प्रस्तावकों/प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा दायर किए जा सकते हैं जहां सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल विनियमन किया जा रहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है।

पोर्टल को कई उन्नत लेकिन सरल विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है ताकि भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। भू-नीर पोर्टल की कुछ नवीनतम और उपयोगकर्ता के अनुकूल विशेषताओं में शामिल हैं, जैसे आवेदन करने से पहले पात्रता जानने के लिए पात्रता की जांच करें, *ऑनलाइन शुल्क कैलकुलेटर,* सीजीडब्ल्यूए अधिकारियों के साथ एक-से-एक बातचीत के लिए *क्वेरी मॉड्यूल, आवेदन की स्थिति पर* वास्तविक समय एसएमएस और ई-मेल अलर्ट आदि। विशेष रूप से, *पैन आधारित सिंगल आईडी सिस्टम* की विशेषता अन्य मॉड्यूल एवं भुगतान गेटवे के साथ पहुंच तथा एकीकरण में आसानी प्रदान करती है और *बढ़ी हुई सुरक्षा और सत्यापन में आसानी के लिए* क्यूआर कोड सक्षम एनओसी सुविधा बनाई गई है।

(ग) और (घ) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार भू-नीर पोर्टल उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल की निकासी के लिए एनओसी के ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण के उद्देश्य से है। पोर्टल को भूजल विनियमन के लिए उक्त दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार यह भूजल निष्कर्षण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों को लागू करने में सहायक भू-नीर, बिहार सहित देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन में योगदान देता है।

इसके अतिरिक्त, पोर्टल परियोजनाओं को दिशानिर्देशों में निर्धारित जल संरक्षण उपायों जैसे छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना आदि का अनुपालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

(ङ) भू-नीर पोर्टल को माननीय मंत्री, जल शक्ति द्वारा व्यापक प्रचार प्रदान करते हुए लॉन्च किया गया था। बिहार सहित इस विषय पर देशव्यापी समाचार कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से भू-नीर पोर्टल के शुभारंभ पर मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए भूजल निष्कर्षण के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा इसे अपनाने की गति को तेज करने और जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न वाणिज्य मंडलों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करता है साथ ही जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करता रहता है।

*****